UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICE'S EXAMINATION, 2015

The written result of the Special Class Railway Apprentices' (SCRA) Examination, 2015 has been declared by the Commission and the same is available on the Commission's website, **http://www.upsc.gov.in.** The candidature of all candidates who have qualified for Interview/Personality Test is PROVISIONAL subject to their being found eligible in all respects. It is informed that all the written qualified candidates are required to fill up and submit the Detailed Application Form (DAF) **ONLINE** followed by sending of ink signed copy of the printout of DAF along with their photographs and all relevant documents to the Commission. The DAF shall be available on the Commission's website from **08.06.2015 to 17.06.2015** till 11.59 P.M. Important Instructions for filling up and submitting the ONLINE DAF will also be available on the website along with the Rules of SCRA Examination, 2015. The last date for the receipt of printed copy of DAF (ink signed) along with relevant documents is **22.06.2015**. In the event of non-receipt of ink signed copy of DAF, the candidature will be cancelled without any further notice. The candidates are also required to bring a printed copy of the DAF duly signed (by the candidate) along with original documents and a photocopy each thereof at the time of interview. The candidates must also check before hand their certificates in accordance with the important instructions available on the website of the Commission with regard to the certificates that are required to be produced at the time of Interview. The candidates will be solely responsible for not producing sufficient proof in support of his/her age, date of birth, educational qualifications, caste (SC/ST/OBC) and physical disability status. The candidates shall be informed for their Personality Test, (likely to be held in the month of July, 2015) through e-Summon Letters. The details of Personality Test shall also be available on the Commission's website in due course.

2. The result of those candidates who belong to JAT community and had applied under OBC category in accordance with the Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/129/2009/BC.II, dated 04.03.2014, is **PROVISIONAL** and subject to the Judgment dated 17th March, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in which the said Resolution has been quashed.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI- 110069, dated 04th June, 2015/Jyaistha 14, SAKA 1937

संघ लोक सेवा आयोग

सूचना

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015

आयोग द्वारा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज (एससीआरए) परीक्षा, 2015 का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया है तथा यह आयोग की वेबसाइट, http://www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक हुए सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी उनके सभी दृष्टिकोणों से पात्र पाए जाने के अध्यधीन **अनंतिम** है। यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के सभी अर्हक उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरकर **ऑनलाइन** जमा कराना अपेक्षित है एवं इसके बाद वे अपने फोटोग्राफ और सभी संगत दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ विस्तृत आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की प्रति पर स्याही से हस्ताक्षर करके आयोग को भेज दें। विस्तृत आवेदन प्रपत्र दिनांक **08.06.2015** से **17.06.2015** तक रात्रि 11.59 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015 की नियमावली के साथ-साथ विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भरने और ऑनलाइन जमा कराने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा । संगत दस्तावेजों के साथ विस्तृत आवेदन प्रपत्र की मुद्रित प्रति (स्याही से हस्ताक्षरित) की पावती की अंतिम तारीख **22.06.2015** है। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त नहीं होने पर आगे कोई सूचना दिए बिना उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज और प्रत्येक की छायाप्रति के साथ-साथ विस्तृत आवेदन-प्रपत्र (डीएएफ) की विधिवत हस्ताक्षरित (उम्मीदवार द्वारा) मुद्रित प्रति साथ लाएं। उम्मीदवार, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के संदर्भ में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण अनुदेशों के अनुसार अपने प्रमाण पत्रों की पहले ही जांच कर लें। उम्मीदवार अपनी आयु, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) तथा शारीरिक विकलांगता की स्थिति के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व परीक्षण (जिनके जुलाई, 2015 के दौरान आयोजित होने की संभावना है) की सूचना ई-बुलावा पत्रों के जरिए दी जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण संबंधी विवरण यथासमय आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. 20012/129/2009/बीसी.II दिनांक 04.03.2014 के अनुसार अ.पि.व. श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले **जाट** समुदाय के उम्मीदवारों का परिणाम **अनंतिम** है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 मार्च, 2015 के निर्णय के अध्यधीन है, जिसमें उक्त संकल्प को खारिज कर दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग

□□ □□□□□□-110069, दिनांक 04 जून, 2015 /ज्येष्ठ 14, शक 1937

GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
PRESS NOTE

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES EXAMINATION, 2015

On the basis of the result of the written part of the Special Class Railway Apprentices Examination, 2015 held by the U.P.S.C. in January, 2015, the candidates with the under mentioned Roll Numbers have qualified for Interview/Personality Test.

2. The result of those candidates who belong to JAT community and had applied under OBC category in accordance with the Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/129/2009/BC.II, dated 04.03.2014, is **PROVISIONAL** and subject to the Judgment dated 17th March, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in which the said Resolution has been quashed.

3. Further, the candidature of all these candidates who have qualified for Interview/Personality Test is **PROVISIONAL** subject to their being found eligible in all respects. The candidates would be required to produce the original certificates in support of their claims relating to age, educational qualifications, community, physical disability and other documents such as Attestation Forms and TA Forms, etc. at the time of the Personality Test. The formats of SC/ST/OBC & PH certificates, Attestation Forms and TA Form, etc. can be downloaded from the website of the Commission. They are, therefore, advised to keep the said certificates ready with them.

4. In accordance with the Rules of examination, all these candidates are required to fill up the Detailed Application Form (D.A.F.), which is available on the Commission's Website http://www.upsc.gov.in and submit the same ONLINE. The DAF will be available on the website of the Commission from 08.06.2015 to 17.06.2015 till 11.59 PM. Important instructions regarding filling up of the DAF and submitting the same ONLINE to the Commission will also be available on the website. The candidates who have been declared successful have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE Detailed Application Form. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Special Class Railway Apprentices Examination, 2015 published in the gazette of India, dated 11.10.2014, which are also available on the website of the Commission.

5. After submitting the DAF duly filled in ONLINE, the candidates are required to take out a printout of the finally submitted DAF separately and will have to send the printed copy of the DAF, duly signed by the candidates, along with all relevant documents, to the Under Secretary (SCRA), Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069, so as to reach the Commission's Office latest by 22.06.2015. The envelope containing the printout of the DAF submitted ONLINE should be superscribed "DAF for Special Class Railway Apprentices Examination, 2015". It can also be delivered at UPSC by hand till 22.06.2015 (5.00 P.M.). In the event of non-receipt of ink singed copy of the DAF, the candidature will be cancelled without any further notice.

Contd..p/2

6. The candidates are also required to bring the printed copy of the DAF duly signed (by the candidate) along with original documents and a photocopy each thereof at the time of Interview. **The instructions for filling up DAF available on the website along with the Rules of the Special Class Railway Apprentices' Examination, 2015, must be read carefully with regard to the certificates that are to be produced at the time of Interview. The candidate will be solely responsible for not producing sufficient valid proof in support of his/her age, date of birth, educational qualifications, caste (SC/ST/OBC) and Physically disability status**.

7. Interviews of candidates who have qualified for the Personality Test are likely to be held in the month of July, 2015. The exact date of interview will, however, be intimated to the candidates through e-Summon Letters. Roll Number-wise Interview Schedule will also be made available on Commission's website in due course.

8. **No request for change in the date and time of Personality Test intimated to the candidates will be entertained under any circumstances**.

9. The mark-sheets of candidates who have not qualified, will be put on the Commission's website within 15 days from the date of publication of the final result (after conducting Personality Test) and will remain available on the website for a period of 60 days.

10. The candidates can access the marks-sheets after keying in their Roll Numbers and date of birth. The printed/hard copies of the marks-sheet would, however, be issued by UPSC to candidates based on specific request accompanied by a self-addressed stamped envelope. Candidates desirous of obtaining printed/hard copies of the marks sheets should make the request within thirty days of the display of the marks on the Commission's website, beyond which such requests would not be entertained.

11. The candidates are advised to notify changes in their address, if any, to the Commission immediately through letter or e-mails.

12. The result will also be available on the U.P.S.C.'s website http://www.upsc.gov.in.

13. Union Public Service Commission has a Facilitation Counter at its campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their examination/result on working days between 10.00 A.M. to 5.00 P.M in person or over telephone Nos.(011)-23385271/23381125/23098543 from this counter.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
NEW DELHI- 110069

MOBILE PHONES ARE BANNED IN THE CAMPUS OF UPSC EXAM. HALLS

SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, 2015

000013	000478	000484	000902	001029	001047	001205	001436	003278
003405	004551	004568	004612	004980	004988	005360	006186	006544
006867	006871	007387	009044	011573	011930	012093	013053	014404
014794	015894	017185	017729	018056	019412	021196	022054	022540
023121	024905	027899	027954	029310	029390	029404	031537	032337
032849	033270	034918	035553	036708	040233	043942	044272	044967
045274	045593	047536	048291	050889	052521	052898	054464	055796
056493	057620	057938	058248	059437	061023	061145	061267	061817
063524	064562	066363	070004	070797	072029	072567	073186	074035
076506	078157	079116	081117	081423	082524	082743	082953	083694
085810	087291	087689	088596	089372	089803	090025	090284	091340
094363	094515	095874	096268	097371	098801	099397	102227	103508
108773	111560	112279	112981	113215	115714	116765	117551	118967
118974	119150	120344	120866	121417	122365	122529	128591	129601
130055	130103	131052	135053	138338	139341	140919	142286	143918
144924	146192	149238	150375	150677	152588	153382	155103	159023
160341	160993	161897	163661	167132	169091	170378	172727	173093
177502	178081	178716	178734	184412	185011	185112	185830	185843
186420	189340	190570	191220	191591	193121	193960	197162	198482
200195	200293	201922	202322	202643	202827	208405	210181	212555
213628	214413	215726	219835	223263	223960	224609	227574	234746
240751	243196	244371	245085	245439	245596	246656	246744	247367
247570	251951	254804	255921	256731	269635	270842	272430	272624
274385	274639	276640	278340	280516	282123	283726	284343	285602
285627	293213	299741	310030	310094	315555	316056	317991	319244

CONCLUDED

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI - 110 069, dated the 04th June, 2015 / Jyaistha 14, Saka 1937.

<u>भारत सरकार</u>

<u>प्रेस सूचना ब्यूरो</u>

प्रेस नोट

<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

<u>स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015</u>

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 2015 में आयोजित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. 20012/129/2009/बीसी.II दिनांक 04.03.2014 के अनुसार अ.पि.व. श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले जाट समुदाय के उम्मीदवारों का परिणाम **<u>अनंतिम</u>** है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 मार्च, 2015 के निर्णय के अध्यधीन है, जिसमें उक्त संकल्प को खारिज कर दिया गया है।

3. इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक हुए इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके हर प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन **<u>अनंतिम</u>** है । उम्मीदवारों को अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, शारीरिक अक्षमता से संबद्ध तथा अन्य दस्तावेज जैसे साक्ष्यांकन प्रपत्र और यात्रा भत्ता प्रपत्र, आदि के अपने दावे के समर्थन में व्यक्तित्व परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं शा.वि. से संबद्ध प्रमाण-पत्र, साक्ष्यांकन प्रपत्र और यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि के प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अतः, उन्हें अपने प्रमाण पत्र तैयार रखने की सलाह दी जाती है।

4. परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट "<u>http://www.upsc.gov.in</u>**" पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भर लें और उसे <u>ऑनलाइन</u> जमा करा दें। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) आयोग की वेबसाइट पर दिनांक <u>08.06.2015</u> से <u>17.06.2015</u> तक <u>रात्रि 11.59 बजे</u> तक उपलब्ध रहेगा । डीएएफ को भरने और उसे आयोग में <u>ऑनलाइन</u> जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को <u>ऑनलाइन</u> विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले वेबसाइट के संगत पृष्ठ पर अपने को रजिस्टर करना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को दिनांक 11.10.2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015 की नियमावली का अवलोकन करने का परामर्श दिया जाता है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।**

5. विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) विधिवत भरकर ऑनलाइन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतिम रूप से प्रस्तुत डीएएफ का अलग से एक प्रिंटआउट निकाल लें और उस मुद्रित प्रति पर विधिवत हस्ताक्षर करके सभी संगत दस्तावेजों सहित अवर सचिव, (एससीआरए), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को भेज दें जिससे कि वह आयोग कार्यालय में दिनांक <u>22.06.2015</u> तक अवश्य पहुंच जाए। ऑनलाइन जमा किए गए विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) के प्रिंट आउट वाले लिफाफे पर "स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015" हेतु आवेदन प्रपत्र लिखा होना चाहिए । इसे संघ लोक सेवा आयोग में दस्ती रूप से भी दिनांक <u>22.06.2015</u> (सायं 5.00 बजे तक) तक जमा कराया जा सकता है। विस्तृत आवेदन-प्रपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आगे कोई नोटिस दिए बिना उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

6. उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज और प्रत्येक की फोटोप्रति के साथ-साथ विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) की विधिवत हस्ताक्षरित (उम्मीदवार द्वारा) मुद्रित प्रति साथ लाएं। उम्मीदवार, **<u>साक्षात्कार</u>** <u>के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015 की नियमावली के साथ-साथ वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ)भरने से संबंधित अनुदेशों को</u>

क्रमश:2/-

<u>ध्यानपूर्वक पढ लें। उम्मीदवार अपनी आयु, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) तथा</u>

शारीरिक विकलांगता की स्थिति के समर्थन में पर्याप्त वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार जुलाई, 2015 में आयोजित किए जाने की उम्मीद है । तथापि, साक्षात्कार की सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्रों द्वारा दी जाएगी । साक्षात्कार का अनुक्रमांक-वार कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

8. **उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु सूचित की गई तारीख और समय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।**

9. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और ये अंक पत्र वेबसाइट पर 60 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।

10. उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक और जन्म की तारीख अंकित करने के बाद अंक-पत्र प्राप्त कर सकते हैं । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अंक-पत्र की मुद्रित प्रतियां, उम्मीदवारों से डाक टिकट लगे स्व-पता लिखे लिफाफे सहित उनके द्वारा विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर ही भेजी जाएंगी । अंक-पत्रों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा अनुरोध आयोग की वेबसाइट पर अंक-पत्रों के प्रदर्शित किए जाने के तीस दिन के अंदर करना चाहिए; इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना पत्र या ई-मेल द्वारा तत्काल दें।

12. परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।

13. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 (011) 23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली-110069

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा हालों के परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है।

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2015 के व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों हेतु विस्तृत जांच सूची

कृपया सुनिश्चित करें कि व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख पर सभी संगत मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकापी साथ लाएं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों की पहले ही जांच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर लिया गया है :-

(I) **नाम तथा जन्म की तिथि** : नाम तथा जन्म की तारीख के लिए, मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र (अथवा यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, तो कम से कम शिक्षा बोर्ड के संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी अंक-पत्र होना चाहिए)। मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नाम तथा जन्म तिथि को आयोग द्वारा अंतिम माना जाएगा ।

(II) **शैक्षिक योग्यता** : व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/डिग्री **की मूल प्रति** प्रस्तुत करेगा:

10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इंटरमीडिएट **अथवा** हायर सेकेंडरी (12 वर्ष) में गणित के साथ प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी जिसमें परीक्षा के विषय के रूप में कम से कम भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो **अथवा** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व-इंजीनियरी परीक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी **अथवा** केरल अथवा कालीकट विश्वविद्यालयों की पूर्व-डिग्री परीक्षा में गणित के साथ प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी जिसमें परीक्षा के विषय के रूप में कम से कम भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो **अथवा** गणित के साथ स्नातक तथा स्नातक विषय के रूप में कम से कम भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो **अथवा** पंचवर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी बशर्ते प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई हो।

यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मूल प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है अथवा यह अन्यथा उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय अपने दावे के समर्थन में अनंतिम प्रमाण-पत्र तथा/अथवा अंक-पत्रक प्रस्तुत करेगा।

(III) मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र और इंटरमीडिएट अथवा 10+2 प्रमाण-पत्र तथा/अथवा अन्य प्रमाण-पत्रों में दर्ज किए गए नाम में विसंगति की स्थिति में, निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए :

(क) वर्तनी की त्रुटि के कारण उम्मीदवार (अथवा उसके पिता) के नाम में मामूली विसंगति के मामले में, [(अर्थात् मोहन तथा मोह्न) या (आर. माथुर तथा रमेश माथुर)] के मामले में, व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा कि दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(ख) नाम के भाग/भागों में कतिपय शब्द जोड़े जाने/हटाए जाने से संबंधित बड़ी विसंगति [(अर्थात् राम कुमार तथा राम कुमार सिंह) या (अजय कुमार तथा अजय कुमार सिंह राणा)] के मामले में, व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय इस आशय की गजट अधिसूचना प्रस्तुत की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति ने अब से नाम परिवर्तित कर लिया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के मामले में, कभी-कभी उम्मीदवार के नाम में उसके पिता तथा/अथवा माता का नाम भी शामिल होता है। ऐसे मामलों में व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समय इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा कि दोनों प्रमाण पत्रों पर अंकित नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

(IV) **जाति/जनजाति प्रमाण पत्र** : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का दावा करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो रही हैं:

(क) प्रमाण-पत्रों में अंकित उम्मीदवार तथा उसके पिता का नाम अनिवार्यतः वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज है।

(ख) जाति/जनजाति का नाम उस राज्य की केन्द्रीय सूची में शामिल होना चाहिए जिसके उम्मीदवार अथवा उसके पिता मूल निवासी हों।

(ग) जाति/जनजाति तथा/अथवा उप जाति/जनजाति का नाम अनिवार्यतः वही होना चाहिए जिसका उल्लेख वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीय सूची में किया गया है, अर्थात् अ.जा. के संदर्भ में www.socialjustice.nic.in, अ.ज.जा. के संदर्भ में www.censusofindia.gov.in तथा अ.पि.व. के मामले में www.ncbc.nic.in ।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण-पत्र में निवास का खंड विधिवत भरा होना चाहिए।

(ड.) यदि किसी उम्मीदवार को उसके माता-पिता के किसी अन्य राज्य में निवास करने के संबंध में जारी संगत प्रमाण पत्र के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण-पत्र जारी किया गया है तो संबंधित प्रव्रजन खंड (माइग्रेशन क्लॉज) विधिवत भरा होना चाहिए।

(च) इस प्रमाण-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका दर्जा तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए और हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उसके पदनाम की स्पष्ट मुहर लगी होनी चाहिए।

(छ) इस प्रमाण-पत्र पर जारी करने वाले प्राधिकारी/कार्यालय की सील होनी चाहिए। यदि सील क्षेत्रीय भाषा में है तब अंग्रेजी अथवा हिन्दी में एक अन्य सील लगी होनी चाहिए।

(ज) **1 अप्रैल, 2010 से पहले जारी अ.पि.व. प्रमाण-पत्र के मामले में, एक नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए जिसमें उपर्युक्त (क) से (च) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ क्रीमी लेयर के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2013 के का.ज्ञा. के संगत प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए और उसे व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

(V) **शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र** : शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्रों के मामले में, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जानी चाहिए :

(क) यह प्रमाण पत्र अनिवार्यतः उसी निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए जो आयोग की वेबसाइट पर डीएएफ भरने के अनुदेशों के साथ उपलब्ध है ।

(ख) उम्मीदवार (और उसके पिता) का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है ।

(ग) सभी प्रविष्टियां विधिवत भरी होनी चाहिए और विकलांगता के स्तर (40% अथवा अधिक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया होना चाहिए।

(घ) इस प्रमाण-पत्र पर चिकित्सा बोर्ड के सभी सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिएं और साथ ही उनकी मुहर होनी चाहिए जिस पर उनका नाम और पदनाम अंकित होना चाहिए ।

(ड.) यह प्रमाण-पत्र अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर उसकी मुहर भी होनी चाहिए । यदि चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं ही चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल का अध्यक्ष है, तो भी उन्हें चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सील के साथ इस प्रमाण-पत्र पर दुबारा प्रतिहस्ताक्षर करना होगा।

(च) इस प्रमाण पत्र पर लगाई गई विकलांगता को दर्शाती फोटो चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए ।

(VI) **अन्य प्रमाण पत्र** : आयु में रियायत के दावों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अथवा शा.वि. उम्मीदवारों को छोड़कर) के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्रों को भी प्रस्तुत करना होगा।

******

Annexure-I

BROAD CHECK-LIST FOR THE CANDIDATES FOR APPEARANCE IN PERSONALITY TEST BOARDS OF SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, 2015.

Please ensure that you bring all the relevant documents in original along with photocopies thereof on the date of Personality Test. The candidates are advised to carefully verify their documents before hand and ensure that the following conditions have been satisfied:-

(I) **Name & Date of Birth**: For name and date of birth, Matriculation or equivalent certificate (or if certificate is not available, at least the mark-sheet issued under the signature of concerned officer of the educational board, should be there). The name and Date of Birth as recorded in the matriculation or equivalent certificate will be treated as final by the Commission.

(II) **Educational Qualification**: The candidate must show the following certificate/degree, in **original,** in support of his/her educational qualification at the time of PT Board:

> First or second division the Intermediate **or** Higher Secondary (12 years) examination under 10+2 pattern of school education with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as subject of the examination **or** first or second division the Pre-Engineering Examination of a University, approved by the Government of India; **or** first or second division the Pre-Degree Examination of the Universities of Kerala and Calicut with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as subject of the examination **or** Graduation with Mathematics and at least one of the subjects Physics & Chemistry as degree subjects **or** first year examination of the Five-year Engineering Degree Course in the first or second division provided the first year examination is conducted by a University.

In case original certificate is not issued by the Board/University or is otherwise not available; he/she is required to produce provisional certificates and/or Mark-sheets in support of his claim at the time of PT Board.

(III) In case there is discrepancy between the name as recorded in the Matriculation certificate and as entered in Intermediate or 10+2 certificate and/or other certificates, the following steps must be taken:

(a) In case of minor discrepancy in the name of the candidate (or his/her father) due to a spelling error [(i.e. Mohan and Mohun) or (R. Mathur and Ramesh Mathur)], an affidavit may be produced at the time of PT Board to the effect that both the names belong to the same person.

(b) In case of a major discrepancy related to the addition or deletion of part/parts of any name [(i.e. Ram Kumar and Ram Kumar Singh) or (Ajay Kumar and Ajay Kumar Singh Rana)], a Gazette notification may be produced at the time of PT Board to the effect that the person has changed his name henceforth.

(c) In case of certificates issued by the State of Maharashtra, the name of the candidate is sometimes inclusive of the name of the father and/or the name of the mother. In such cases, an affidavit may be produced at the time of PT Board to the effect that the names on both certificates belong to the same person.

(IV) **Caste/Tribe Certificate**: The candidate claiming to be SC/ST/OBC must ensure the following conditions:

(a) The name of the candidate and his/her father in the certificates should be strictly as recorded in the matriculation or equivalent certificate.

(b) The name of the caste/tribe is included in the central list in respect of the State to which the candidate or his/her father originally belongs.

(c) The name of the caste/tribe and sub caste/tribe (if it is mentioned in the central list) should be strictly according to the Central List as is available on the website i.e. www.socialjustice.nic.in in respect of SCs, on www.censusofindia.gov.in in respect of STs and www.ncbc.nic.in in respect of OBCs.

(d) The residential clause in ST/ST/OBC certificate should be duly filled up.

(e) In case, SC/ST/OBC certificate is issued to a candidate residing in a State on the basis of the relevant certificate issued to his/her parent in another State, relevant migration clause should have been duly filled up.

(f) The certificate should have been signed by a competent authority not below the rank of Tehsildar with legible stamp of his/her designation either in Hindi or in English

(g) The certificate must contain a seal of office of the concerned issuing authority/office. In case of a seal in regional language, another seal either in English or in Hindi may also be got affixed.

(h) In case of an OBC certificate issued prior to 1st April, 2010, a fresh certificate incorporating therein the relevant provisions of DoPT O.M. dated 27.05.2013 pertaining to Creamy Layer must be prepared inter-alia satisfying the above mentioned conditions at (a) to (f) and produced at the time of PT Board..

(V) **PH Certificate**: In case of PH certificates, the following should be ensured:

(a) The certificate should be strictly in the prescribed proforma as is available on the website of the Commission with the instructions for filling up DAF.

(b) The name of the candidate (and his/her father) should be as recorded in the matriculation certificate.

(c) All entries must be duly filled in and the extent of disability (40% or more) is clearly indicated.

(d) The certificate should be duly signed by all Members and Chairman of the Medical Board along with their seals showing their names and designations.

(e) The certificate be also duly countersigned by the Medical Superintendent/CMO/Head of the Hospital along with his seal. Even if the Chairman of the Medical Board is himself/herself is the Medical Superintendent/CMO/Head of the Hospital, he/she is again required to countersign the certificate along with his/her seal as MS/CMO/HoH.

(f) The photograph affixed on the certificate showing the disability should be duly attested by the Chairman of the Medical Board.

(VI) **Other Certificates**: The certificates in support of age relaxation (other than SC, ST or OBC category or the PH candidates) in original are also required to be shown.